शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के अवधि 5.10.05 से 31.12.2011 के लेखाओं का लेखा परीक्षण एव निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 5.10.05 से 31.12.11

प्रारम्भिकः—

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं व पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 (जिसका प्रकाशन हिमाचल प्रदेश राजपत्र असाधारण मे दिनांक 6.8.84 के अंक में हुआ था) के अनुच्छेद 23 (2) (सी) (11) के अन्तर्गत तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा 4 (3)–3/85–खण्ड–II दिनांक 12.1.1989 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार माँ शूलिनी माता ट्रस्ट सोलन हिमाचल प्रदेश के अवधि 5.10.05 से 31.12.12 का प्रथम अंकेक्षण, श्री हरदेव सिंह शांडिल अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 7.1.12 से 23.2.12 के दौरान सोलन में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये है। माह 10/05, 6/06, 10/07, 6/08, 6/09, 7/10 व 6/11 के लेखों की आय व माह 6/06, 6/07, 8/08, 11/09, 4/10 व 2/11 के लेखों के व्यय की विस्तृत जांच की गई।

अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर न्यास में निम्न आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत थेः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री विकास सूद	5.10.2005 से 1/2006
2	श्री सन्त राम शर्मा	1/2006 से 10/2007
3	श्री विशम्बर झगटा	11/07 से 9/2009
4	श्री धनवीर ठाकुर	9/2009 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

अंकेक्षणाधीन अवधि 5.10.05 से 31.12.11 के अंकेक्षण में गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि ₹ लाख
	रसीदो द्वारा प्राप्त कैश बुक मे जमा करते समय कोई विवरण न दिया जाना	7 (क)	0.23
	कैश बुक में प्राप्त आय के स्त्रोत का विवरण न दिये जाने बारे।	7 (ख)	8.49
	भण्डारे हेतु क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न किये जाने बारे।	10	2.65
	टेन्ट के किराये के रूप में भुगतान करने बारे।	12	0.08
	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को किए गए भुगतान से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे।	13	0.35

दिनांक 31.12.2011 को बैंक मे जमा राशि का विवरण—

2 **अंकेक्षण शुल्क:–**

मॉं शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट सोलन के अंकेक्षण अवधि 5.10.05 से 31.12.11 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹17400/–आंका गया। अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या शून्य, दिनाक 23.2.12 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया।

3 **वित्तीय स्थिति:–**

(क) मन्दिर प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मॉं शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट सोलन के अवधि 5.10.2005 से 31.12.2011 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न विवरणानुसार थी–

वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	बचत खाते पर प्राप्त ब्याज	सावधि खाते पर प्राप्त ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2005	3078480	144851	—	—	3223331	—	3223331
2006	3223331	1452466	19797	267038	4962632	97354	4865278
2007	4865278	1834543	96005	—	6795826	184500	6611326
2008	6611326	1852559	34928	—	8498813	459227	8039586
2009	8039586	2399147	87373	372383	10898489	1671727	9226762
2010	9226762	2955939	86847	1578068	13847616	810551	13037065
2011	13037065	3488900	65708	961130	17552803	3469667	14083136

दिनाक 31.12.2011 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष ₹14083136

दिनाक 31.12.2011 को बैंक में जमा राशि का विवरण–

दी बघाट अर्बन को०ओ० बैंक के बचत खाता संख्या 001001014447 में जमा ₹1116908

मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत सूचना के अनुसार परिशिष्ट (क) के अनुसार दी बघाट अर्बन को०ओ० बैंक के सावधि खातों में जमा का विवरण निम्न रूप से था–

क्र0सं0	सावधि खाता सं0	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तिथि	निवेशित राशि
1	001008115915	7.8.11	7.8.12	4959813
2	001008106819	4.4.11	4.4.12	2173879
3	001008115406	5.8.11	5.8.12	2154272
4	001008133123	20.8.11	20.8.12	3000000
5	001008105793	4.4.11	4.4.12	678264
				₹12966228
			योग	₹14083136

(ख) कैश बुक के रख–रखाव बारे–

(i) कैश बुक में आरम्भिक शेष का विवरण न दिये जाने बारे:–

मन्दिर के अधिग्रहण की तिथि 5.10.05 को कैश बुक में आरम्भिक शेष का कोई विवरण नहीं दिया गया था परन्तु शूलिनी माता मन्दिर की नस्ति संख्या एस0एल0एन0/एस0टी0/1–7/10 के पृष्ठ 3 पर संलग्न तहसीलदार एवं मन्दिर अधिकारी माँ शूलिनी माता मन्दिर के पत्र संख्या शूलिनी माता मन्दिर, संख्या 6.12.75 दिनांक 6.3.06 जो कि आयुक्त शूलिनी माता मन्दिर हिमाचल प्रदेश को मन्दिर की आय–व्यय के बारे में प्रेषित है, के अनुसार मन्दिर के अधिग्रहण के समय कुल जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से था:–

1	सावधि खातों में जमा राशि	1554714
2	बघाट अर्बन को0ओ0बैंक के बचत खाता 14447 में जमा राशि	1497237
3	नगद राशि जो बैंक में जमा की गई	26529
	योग	3078480

(ii) ₹4987/–को बैंक में जमा न किये जाने बारे:–

मन्दिर के अधिग्रहण की नस्ति संख्या एस0एल0एन0/एस0टी0/1–7/10 एस0एल0एन0आर0सी0/01 के पृष्ठ 6 (जिसे जिला भाषा एवं संस्कृति अधिकारी सोलन, अध्यक्ष एवं सचिव तथा कोषाधिकारी मन्दिर कमेटी द्वारा सत्यापित किया गया है) के अनुसार उक्त पृष्ठ पर दर्शाया गया था कि मन्दिर अधिग्रहण के समय मन्दिर में नगद शेष निम्न रूप से था:–

शेष x संख्या	राशि
10x2000	20000
50x100	5000
5x1000	5000
500x2	1000
100x5	500
2x7	14
1x2	2
योग	**₹31516**

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार मन्दिर अधिग्रहण के समय मन्दिर में नकद शेष ₹31516/—था जबकि बैंक मे दिनांक 7.10.05 को ₹26529/—ही जमा किये गये। इस प्रकार ₹4987/—कम जमा किये गये जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कम जमा की राशि को शीघ्र कैश बुक मे जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए

(iii) कैश बुक में तिथि बार वाउचर बार व्यय न दर्शाने बारे:—

नियमानुसार कैश बुक में तिथि वार व वाउचर बार व्यय दर्शाया जाना अपेक्षित है परन्तु कैश बुक में तिथि वार/वाउचर बार व्यय न दर्शा कर कई—2 दिनों के दौरान व्यय की राशि को बैंक से चैक द्वारा निकासी करने के उपरान्त एक मुश्त दर्ज किया गया था जो कि नियमों के प्रतिकूल है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में कैश बुक में तिथि वार व वाउचर वार व्यय दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) मन्दिर न्यास द्वारा प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाने के पश्चात कैश बुक में दर्ज करने बारे:—

नियमानुसार मन्दिर द्वारा रसीदों से प्राप्त आय एवं मन्दिर के गल्ले से प्राप्त आय को गल्ला रजिस्टर मे दर्ज करने के उपरान्त कैश बुक मे दर्ज किया जाना अपेक्षित है तथा तदोपरान्त कैश बुक मे प्राप्त राशि को दर्ज करके बैंक मे जमा किया जाना अनिवार्य है परन्तु मन्दिर के लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रसीदो व गल्ले से प्राप्त आय को पहले बैंक मे जमा किया गया तथा तदोपरान्त इस राशि को कैश बुक मे दर्ज किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य मे सर्व प्रथम रसीदों एवं अन्य स्त्रोत से प्राप्त राशि को कैश बुक मे दर्ज किया जाए तथा उसके पश्चात कैश बुक मे जमा राशि को बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि लेखाओ के रख—रखाव मे किसी प्रकार की अनियमितता न रहे।

सावधि खातों के रख–रखाव बारे:–

(क) माँ शूलिनी माता मन्दिर के अधिग्रहण करने की तिथि दिनांक 5.10.2005 को सावधि खातों मे ₹15,54,714/–निवेश किये गये दर्शाए गए थे परन्तु सावधि खातों मे निवेशित यह राशियां कब–2 और किस–2 अवधि के लिए निवेश की गई थी और इस पर क्या ब्याज दर देय थी से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं था जिसके अभाव में अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि नही की जा सकी कि सावधि जमा योजना में निवेशित इन राशियों पर कितनी–2 ब्याज की राशि देय थी यद्यपि तत्पश्चात बघाट अर्बन को0ओ0 बैंक लि0 के सावधि खातों मे जमा इन राशियों को बैंक के बचत खाता संख्या 14442 में दिनांक 27.6.2006 को ब्याज सहित कुल ₹1821752/–जमा की गई जिससे यह प्रतीत होता है कि इन सावधि खातों पर (₹1821752–₹1554714)=₹267038/–का ब्याज प्राप्त हुआ है फिर भी ब्याज की सही राशि का आंकलन करने के लिए यह मामला बैंक के साथ उठाया जाए तथा यह स्पष्ट किया जाए कि बैंक द्वारा उपरोक्त ब्याज किन–2 सावधि खातों पर किस–2 अवधि के लिए किस–2 दर से दिया गया। इस प्रकरण में पूर्ण विवरण अभिलेख में दिया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दिखाई जाए।

(ख) इसी प्रकार अवधि 10/2005 से 4/2011 के दौरान विभिन्न सावधि खातों में निवेशित राशियों का न तो कैश बुक में कोई विवरण दिया गया और न ही इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार के अभिलेख का रख–रखाव किया गया जिसके अभाव में सावधि खातों में किस–2 अवधि के लिए कितनी–2 राशियॉ किस–2 ब्याज दर पर निवेशित की गई थी तथा मन्दिर ट्रस्ट द्वारा इन खातों को समय पर भुनाया गया या नही इसकी जॉच अंकेक्षण के दौरान नही की जा सकी। इस प्रकार सावधि खातो से सम्बन्धित पूर्ण एवं उचित प्रकार से अभिलेख का रख–रखाव न किये जाने के कारण इन खातों में अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। अतः इन सावधि खातों के अभिलेख का रख–रखाव न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा परामर्श दिया जाता है कि सावधि जमा योजना में समस्त राशियों का पूर्ण विवरण अभिलेख में देकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) सावधि खातों से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव न किये जाने के कारण मन्दिर ट्रस्ट द्वारा सावधि खातों में निवेशित राशियों का निम्न प्रकार विवरण बघाट अर्बन बैंक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर तैयार किया गया जो कि अनियमित है क्योंकि यह विवरण मन्दिर के अभिलेख के अनुसार नहीं है तथा इसमे अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता हैं। अतः सावधि खातों में निवेशित राशियों की विस्तृत जॉच मन्दिर न्यास स्तर पर की जाए तथा यह प्रमाणित किया जाए कि इन सावधि खातों के अतिरिक्त अन्य किसी भी सावधि खातों मे अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि निवेश नही की गई थी।

Sl No.	A/C No.	Account Type	Dt.	Amt. invested	Dt. of encashment	Dt. of maturity	Interest received	Total amt. received
1	01FR02339201	F.D multi benefit	27-2-06	1821752	4-3-10	Not mentioned	731625	2556377
2	0100810820	-do-	4-3-12	2556377	23-2-11	Not mentioned	210728	2767105
FDR encashed and amt. of ₹2767105/-deposited in the Bhagat Urban co-op Bank, Solan Sav A/C No 01001014447 on 25.2.11								
3	01FR00869101	-do-	7.8.07	3500000	12.2.09	Not mentioned	372383	3872383
			12.2.09	4372383	8.2.10	Not mentioned	503222	4875605
			8.2.10	4264410	7.8.10	Not mentioned	340221	4604631
4	001008115915	-do-	7.8.10	4604631	7.8.11	Not mentioned	355182	4959813
			7.8.11	4959813	___	7.8.12		
5	001008106819	-do-	4.3.10	2000000	4.4.11	Not mentioned	173879	2173879
			4.4.11	2173879		4.4.12		
6	001008115406	F.D multi benefit	5.8.10	2000000	5.8.11	Not mentioned	154272	2154272
			5.8.11	2154272	-	5.8.12		
7	001008133123	F.D multi benefit	20.8.11	3000000	-	20.8.12		
	01FD03227401	F.D multi benefit	7.8.07	500000	12.2.09	Not mentioned	9038	509038
8	01F00869101	F.D multi benefit	12.2.09	509038	12.2.10	Not mentioned	102157	611195
9	001008105793	F.D multi benefit	8.2.10	611195	4.4.11	Not mentioned	67069	678264
10			4.4.11	678264	-	4.4.12		

सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों के सन्दर्भ में उचित अभिलेख के अभाव में उपरोक्त वर्णित अन्य अनियमितताओं के अतिरिक्त उपरोक्त क्रम सख्या 8 पर सावधि खाते में जमा ₹500000/—पर 7.8.07 से 12.7.09 तक ₹9038/—का ब्याज व क्रम सख्या 9 पर ₹5,09,038/—पर 12.2.09 से 12.2.10 तक ₹1,02,157/—का ब्याज सही प्रतीत नही होता है क्योंकि न तो उक्त विवरणी से यह स्पष्ट होता है कि यह ब्याज किस दर से प्राप्त किया गया दर्शाया गया है और न ही ब्याज की उक्त ₹9038+₹102157=₹111895/ की वित्तीय स्थिति

में लिया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि ब्याज की इस राशि को रोकड़ बही/अभिलेख में दर्ज ही नहीं किया गया है। अतः इस प्रकरण में मन्दिर न्यास स्तर पर विस्तृत छानबीन करके वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा उक्त राशि उचित स्रोत से वसूली करके इसे रोकड़ बही/अभिलेख से लेकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 सोना व चांदी की गणना में अनियमितताओं के बारे में:–

मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण के दौरान परिशिष्ट "ख" पर प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर के सोने व चांदी का विवरण निम्न प्रकार से है:–

	सोना	चांदी
मन्दिर के अधिग्रहण के समय दिनांक 5.10.2005 को प्राप्त सोने व चांदी की मात्रा	340–330ग्राम	7–764–600ग्राम
अवधि 6.10.2005 से 31.12.2011 तक प्राप्त सोना व चांदी	134.79 ग्राम	22.139ग्राम
योग	475.12ग्राम	29.903.60ग्राम

इस प्रकार दिनांक 31.12.2011 को मन्दिर न्यास के सोने व चांदी के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 475.12 ग्राम सोना व 29.903.600 ग्राम चांदी शेष थी। मन्दिर न्यास के सोना व चांदी के अभिलेख की जॉच के दौरान पाया गया कि श्रद्धालुओं द्वारा मन्दिर में चढ़ाए गए/भेंट के रूप में दिए गए सोने एवं चांदी हेतु मन्दिर न्यास द्वारा रसीदें जारी नहीं की गई है अपितु सोने व चांदी की भेंट सीधे गल्ले में ही डाल दी जाती थी। चर्चा में अंकेक्षण को बताया गया कि गल्ले की गिनती के उपरान्त सोना व चांदी का कुछ अवधि के पश्चात भार करवाकर इसे जिला कोषाधिकारी के कोषागार में जमा करवा दिया जाता है। इस प्रकार बिना रसीदें जारी किए गल्ले द्वारा सोने/चांदी की प्राप्ति में अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः सुझाव है कि सोने व चांदी की प्राप्ति के लिए श्रद्धालुओं द्वारा भेंट दिया गया सोना/चांदी का (Weight Machine) द्वारा तोल करने के उपरान्त अपेक्षित रसीदों में सोने/चांदी का भार दर्शाकर इन रसीदों को श्रद्धालुओं को जारी करना सुनिश्चित किया जाए तथा सोने/चांदी के स्टॉक रजिस्टर में सोने/चांदी की प्राप्ति का रसीदवार व तिथि वार भार भी दर्शाया जाए ताकि सोने/चांदी की प्राप्ति में किसी प्रकार की अनियमितता न रहे। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

मन्दिर ट्रस्ट में कार्यरत्त कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर किए गए व्यय के बारे में:–

(क) मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार मन्दिर अधिग्रहण के समय कर्मचारियों की संख्या शून्य थी। तत्पश्चात निम्न चार कर्मचारी मन्दिर ट्रस्ट द्वारा भर्ती किए गए:–

क्र0सं0	पदनाम	अधिग्रहण के समय पद	वर्तमान में पद	जिस माह से कार्यरत्त	वेतनमान
1	सेवादार	–	1	30.11.05	दैनिक वेतन
			1	1.4.06	
			1	17.4.06	
2	सफाई कर्मचारी	–	1	30.11.05	दैनिक वेतन

वर्ष 2011 के दौरान न्यास द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के रूप में ट्रस्ट की वर्तमान कुल आय/बजट का लगभग 3.82% व्यय किया गया जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से वर्णित है:–

वर्ष	आय	न्यास के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	प्रतिशतता
2011	4515738	172800	3.82%

(ख) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं व पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 के अध्याय–II की धारा–2 के अनुसार मन्दिर ट्रस्ट में स्टॉफ की भर्ती सरकार की अनुमति/आदेशों के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित थी परन्तु मन्दिर न्यास में कर्मचारियों को भर्ती से सम्बन्धित हि0प्र0 सरकार की स्वीकृति अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने हेतु सरकार से स्वीकृति प्राप्त नही की गई। अतः बिना सरकार स्वीकृति के कर्मचारियों की तैनाती बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकरण में आवश्यक कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

आयः—

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार मन्दिर में दिनांक 4.4.06 तक माँ शूलिनी माता ट्रस्ट द्वारा दान/भेंट व मन्दिर विकास के लिए प्राप्त राशि रसीदों द्वारा प्राप्त न करके गल्लों के द्वारा ही प्राप्त किया गया है तथा रसीदों द्वारा दिनांक 5.4.06 से ही राशियां प्राप्त की जानी आरम्भ की गई है। रसीदों व गल्ले से प्राप्त राशियों के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गई जिनका शीघ्र समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(क) रसीदों द्वारा प्राप्त ₹23303/—को कैश बुक में जमा करते समय कोई विवरण न दिया जानाः—

निम्न विवरणानुसार चयनित माहों में ₹23303/—रसीदों द्वारा दान के रूप मे प्राप्त की गई थी परन्तु इस राशि को किस तिथि को कैश बुक में जमा किया गया इसका विवरण रसीदों/कैश बुक और अन्य किसी अभिलेख में नहीं दिया गया जिसके अभाव में इस तथ्य की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी कि उक्त राशि किस तिथि को कैश बुक में जमा की गई थी। इस प्रकार रसीदों द्वारा प्राप्त राशि को क्रम संख्यानुसार जमा करवाने बारे अपेक्षित विवरण सम्बन्धित अभिलेख से न दिये जाने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा उक्त राशि जिस-2 तिथि को कैश बुक में जमा की गई थी उसका रसीदों की क्रम संख्या अनुसार तिथिवार विवरण सम्बन्धित अभिलेख में दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	रसीदों की क्रम संख्या	प्राप्त राशि
11.10.05	401 से 410	252
12.10.07 से 13.10.07	1322 से 1400	3553
13.10.07 से 16.10.07	902 से 1000	3856
16.10.07 से 18.10.07	1001 से 1100	3482
19.10.07 से 20.10.07	0201 से 272	3148
19.10.07 से 19.10.07	101 से 200	4437
19.10.07 से 19.10.07	0001 से 100	4575
		₹23303

उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान अन्य मासों में भी रसीदों द्वारा प्राप्त समस्त आय का तिथिवार व क्रम संख्यानुसार विवरण रसीद बुकों/कैश बुक तथा सम्बन्धित अभिलेख में दिया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि रसीदों द्वारा प्राप्त राशियों की पूर्ण रूप से जाँच की जा सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) कैश बुक में प्राप्त आय की ₹848514/– के स्त्रोत का विवरण न दिये जाने बारे–

चयनित माहों में निम्न विवरणानुसार कैश बुक में ₹848514/–की आय की प्राप्ति दर्शाई गई है परन्तु उक्त राशि रसीदों द्वारा नगद या गल्ले से या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त हुई इसका कैश बुक में कोई विवरण नहीं दिया गया जो कि नियमों के विपरीत है जिस बार स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः उक्त राशि किस स्त्रोत से प्राप्त हुई इसका पूर्ण विवरण दिया जाऐ ताकि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	कैश बुक में प्राप्त राशि
1	7.10.05	26524
2	7.10.05	11009
3	7.10.05	6769
4	8.10.05	7318
5	10.10.05	9402
6	10.10.05	9739
7	11.10.05	10244
8	13.10.05	27622
9	20.6.06	36900
10	21.6.06	94402
11	28.6.06	158500
12	17.10.07	50000
13	11.6.09	3382
14	16.6.09	90
15	3.7.10	52
		₹848514

(ग) रसीदों का प्रयोग क्रम वार न किया जानाः–

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि रसीदों का प्रयोग क्रम वार व तिथिवार नहीं किया गया है जो कि नियमों के विपरीत है तथा इससे रसीदों द्वारा प्राप्त आय में अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार रसीदों को क्रमवार जारी न करने तथा रसीदों का क्रमवार प्रयोग न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में रसीदो को क्रमवार जारी करके इन प्रयोग भी क्रमवार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। रसीदो को क्रमवार जारी न करने के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है:–

रसीद बुक संख्या	प्रयोग करने की अवधि
0201 से 0277	19.10.07 से 19.2.08
0301 से 0400	13.11.07 से 16.3.10
0401 से 0500	6.4.08 से 8.4.08

(घ) एक ही क्रम संख्या की दो–दो, तीन–तीन रसीद बुकों का प्रयोग किया जानाः–

नियमानुसार जब एक क्रम संख्या की रसीद बुकों का प्रयोग करने के उपरान्त समाप्त हो जाए तो आगामी क्रम संख्या की रसीद बुकें मुद्रित करवाई जानी अपेक्षित है परन्तु मन्दिर न्यास आगामी क्रम संख्या की रसीद बुके मुद्रित न करवा कर एक ही क्रम संख्या की रसीदें बार–2 मुद्रित करवा कर एक वर्ष में एक ही क्रम संख्या की दो–दो तथा तीन–तीन रसीद बुके प्रयोग में लाई गई। मन्दिर न्यास द्वारा इसप्रकार की प्रयोग में लाई गई रसीद बुकों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–'

क्र0सं0	रसीद संख्या	प्रयोग करने की तिथि
1	001 से 100	5.4.06 से 5.4.06
	001 से 100	26.9.06 से 27.9.06
2	101 से 200	5.4.06 से 5.4.06
	101 से 200	24.9.06 से 29.9.06
3	201 से 300	5.4.06 से 6.4.06
	201 से 300	29.9.06 से 30.9.06
4	301 से 400	6.4.06 से 23.9.06
	301 से 400	30.9.06 से 30.9.06
5	401 से 500	11.10.05 से 4.4.06
	401 से 500	23.9.06 से 26.9.06
	401 से 500	30.9.06 से 30.9.06
6	501 से 600	30.3.06 से 1.10.06
	501 से 600	6.4.08 से 8.4.08
7	801 से 900	19.3.07 से 20.3.07
	801 से 900	12.4.08 से 13.4.08
8	901 से 1000	6.2.07 से 16.10.07
	901 से 1000	13.4.08 से 1.10.08
9	1001 से 1100	16.10.07 से 18.10.08
	1001 से 1100	1.10.08 से 4.10.08
10	1101 से 1200	16.10.07 से 18.10.07

192

	1101 से 1200	4.10.08 से 6.10.08
11	1201 से 1300	26.3.07 से 27.3.07
	1201 से 1300	7.10.08 से 7.10.08
12	1301 से 1400	27.3.07 से 13.10.07
	1301 से 1400	7.10.08 से 7.10.08
13	1401 से 1500	25.3.07 से 26.3.07
	1401 से 1500	

उपरोक्त क्रमांक संख्या 5 में 401 से 500 की तीन–2 रसीद बुके प्रयोग में लाई गई थी जो कि नियमो के विपरीत है। अतः रसीदों को क्रम बार मुद्रित न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में एक क्रम संख्या की रसीदें समाप्त होने के उपरान्त आगामी क्रम संख्या की रसीदें मुद्रित ही करवाई जानी सुनिश्चित की जाए ताकि रसीदों द्वारा प्राप्त राशि में अनियमितता की सम्भावना न रहे।

(ड) खाली रसीदों को पिछले दो से चार वर्षों के दौरान प्रयोग न किया जाना:–

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न रसीदों को पिछले दो से चार वर्षों से खाली (Blank) रखा गया था। अतः इन रसीदों को इतनी अधिक लम्बी अवधि से प्रयोग न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

क्रम0सं0	रसीद संख्या	जिस तिथि से रसीदें प्रयोग नहीं की गई थी
1	0278 से 300	20.2.08 (रसीद संख्या 0277 दिनांक 19.2.08 को प्रयोग की गई थी)
2	3386 से 3400	27.11.10 (रसीद संख्या 3385 दिनांक 27.11.10 को प्रयोग की गई थी)
3	3401 से 5000	21.12.2010 से 11/–21/–51/–101/–501/– व ₹1000/–की रसीदें प्रयोग करने के कारण उक्त रसीदें प्रयोग नही हुई

उपरोक्त क्रम संख्या 1, 2 व 3 पर दर्शाई गई खाली अनुपयुक्त रसीदों का पूर्ण अभिलेख में देकर इन रसीदों को या तो नियमों के अन्तर्गत प्रयोग में लाया जाए अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर उचित प्रक्रिया उपरान्त इन रसीद बुकों को नष्ट किया जाए ताकि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे।

(च) रसीदों में प्राप्त राशि को शब्दों में न दर्शाया जाने बारे:-

नियमानुसार रसीदों में प्राप्त राशि को अंको तथा शब्दो दोनो में लिखी जाना अपेक्षित है जबकि मन्दिर न्यास द्वारा निम्न रसीदों में प्राप्त की गई राशि को केवल अंको में ही लिखा गया है जो कि नियमों के विपरीत है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में रसीदों में प्राप्त राशि को शब्दों व अंकों दोनों में लिखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

रसीद संख्या	अवधि
1301 से 1400	27.3.07 से 13.10.07
1001 से 1100	16.3.07 से 18.10.07
0201 से 0277	19.10.07 से 19.2.08
0101 से 0200	19.10.07 से 19.10.07

(छ) रसीदों के स्टॉक रजिस्टर के रख–रखाव बारे:-

रसीदों के स्टॉक रजिस्टर के रख रखाव में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(i) रसीदों को कब–2, किस–2 प्रिंटिंग प्रैस से किस–2 बिल के अन्तर्गत कितनी संख्या में प्रिंट करवाया गया तथा कितनी रसीदें प्रयोग की गई एवं कितनी शेष है, इसका स्टॉक रजिस्टर में कोई विवरण नहीं दिया गया था, जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान किस–2 क्रम संख्या की रसीदें प्रिंट करवाई गई व प्रयोग की गई तथा कितनी रसीद बुकें शेष बची है, इसकी जॉच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी तथा स्टॉक रजिस्टर में उक्त विवरण के अभाव में रसीदों के प्रयोग में अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। अतः स्टॉक रजिस्टर में उक्त विवरण न देने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा परामर्श दिया जाता है कि सम्पूर्ण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रिंट करवाई गई रसीद बुकें, प्रयोग में लाई गई रसीद बुकें तथा शेष रसीदों का पूर्ण विवरण स्टॉक रजिस्टर में दिया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत रसीद बुकों के अनुसार निम्न क्रम संख्या की रसीद बुकें अभिलेख में दर्शाई गई हैं

क्र0सं0	रसीद क्र0सं0	विवरण
1	001 से 500	मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर न्यास द्वारा (छायाप्रति परिशिष्ट "A" पर दी गई है)
2	001 से 600	मन्दिर न्यास द्वारा (छायाप्रति परिशिष्ट "B" पर दी गई है)

(११५)

3	0001 से 5000	मन्दिर न्यास द्वारा (छायाप्रति परिशिष्ट "C" पर दी गई है)
4	401 से 500 701 से 2000	मन्दिर न्यास द्वारा (छायाप्रति परिशिष्ट "D" पर दी गई है)

उपरोक्त विवरण में क्रम संख्या 4 के अनुसार अभिलेख में 401 से 500 व 701 से 2000 तक की क्रम संख्या की रसीद बुके उपलब्ध थी जबकि 001 से 400 व 501 से 700 की क्रम संख्या की रसीद बुके अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा न्यास स्तर आवश्यक छानबीन करके इस बारे मे वस्तु स्थिति से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

(ज) गल्ला रजिस्टर के रख–रखाव बारे:–

गल्ला रजिस्टर के रख रखाव में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

(i) मन्दिर न्यास द्वारा गल्ला रजिस्टर में न तो पृष्ठ संख्या अंकित की गई थी और न ही गल्ला रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित पृष्ठ संख्या तथा प्रमाण पत्र उक्त रजिस्टर में शीघ्र दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) गल्ला रजिस्टर के आधे पृष्ठ खाली (Blank) रखे गये है तथा आधे खाली पृष्ठों के उपरान्त गल्ला प्रथम बार 30.3.06 को खोला गया था जबकि मन्दिर का अधिग्रहण 5.10.05 को किया गया था। अतः दिनांक 5.10.05 से 30.3.06 के दौरान लगभग 6 मास में गल्ले की कब–2 खोल कर गिनती की गई, इस बारे अभिलेख में कोई विवरण नहीं दिया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। इसके अतिरिक्त गल्ला रजिस्टर के पृष्ठों में पृष्ठ संख्या अंकित न करने बारे व आधे पृष्ठ खाली रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

8 **रसीदों द्वारा प्राप्त खाद्य वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में न लिया जाना:–**

मन्दिर न्यास द्वारा निम्न रसीदों द्वारा खाद्य वस्तुऐं भेंट के रूप में प्राप्त की गई थी परन्तु इन्हें स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकार भेंट के रूप में प्राप्त खाद्य वस्तुओं की प्राप्ति व खपत स्टॉक रजिस्टर में दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाए।

रसीद संख्या	तिथि	प्राप्ति का विवरण
0139	10.10.07	101Kg चावल 21 Kg चीनी 1½ Kg काजू 1½ Kg बादाम 1Kg नारियल

		1 कनस्तर घी
		1Kg किशमिश
0197	19.10.07	10Kg आटा

9 **क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न किये जाने बारे:-**

मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार समय-2 पर वस्तुओं का क्रय किया गया परन्तु इन वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में बताई जाए।

वा0सं0	दिनांक	जिसे भुगतान किया गया	भुगतान का विवरण	मात्रा	दर	राशि
शून्य	7.6.06	मै0 पंथ स्टील इण्डस्ट्री सोलन	ट्रक का क्रय	1	350	350
शून्य	7.6.06	मै0 क्वालिटी इन्टरप्राईजिज सोलन बिल संख्या 034 दिनांक 5.12.05	डबल रोड हिटर	1	300	300
			बाल्टी प्लास्टिक ,	1	70	70
			मग	1	15	15
शून्य	7.6.06	मै0 क्वालिटी इन्टरप्राईजिज सोलन बिल संख्या 191 दिनांक 16.1.06	मोप क्लीनर	1	100	100
			मोप क्लीनर (स्माल)	1	25	25
शून्य	7.6.06	मै0 गोयल ब्रदर्ज, सोलन बिल संख्या 9665, दिनांक 30.1.06	ताले (हरीसन)	2	155	310
शून्य	7.6.06	मै0 दत्त सन्ज ऑफ सेट प्रिन्टर्ज, सरकुलर रोड, सोलन बिल संख्या 330, दिनांक 6.4.06	बेलचा	1	85	85
			(क्रय का स्पष्ट	1	15	15
शून्य	7.7.06	मै0 विशाल वस्तु भण्डार चौक बाजार सोलन बिल संख्या 18186 दिनांक 3.12.05	विवरण नही दिया गया)	1	30	30
शून्य	7.7.06	मै0 कैलाश बुक डिपो निगर चौक बाजार सोलन कैश मैमो संख्या 8528 दिनांक 3.2.06	कैश बुक	1	170	170
			रजिस्टर	1	30	30
शून्य	7.7.06	मै0 गोयल ब्रदर्ज गंज बाजार सोलन, बिल संख्या 10108 दिनांक 3.3.06	वायर	1	20	20
			सोफट पाईप	9.5kg	—	62

शून्य	7.6.06	–यथोपरि– बिल संख्या 10593 दिनांक 30.3.06	ब्रश	1	60	60
शून्य	7.6.06	मै0 हिमाचल साईकिल वर्कस सोलन बिल संख्या शून्य दिनांक शून्य	ताला	1	15	15
शून्य	7.6.06	मै0 चढा इलैक्ट्रीक वर्कस ओल्ड कोर्ट रोड सोलन बिल संख्या 00042, दिनांक 28.4.06	प्लास	1	15	150
			टेप	1	10	10
			स्टार्टर	1	5	5
			टैस्टर	1	25	25
			स्वीच	1	10	10

10 भण्डारे हेतु क्रय की गई ₹265133/–की मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न किये जाने बारे:–

मॉ शुलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धालुओं को भण्डारा दिया जाता है। इस भण्डारे हेतु निम्न विवरणानुसार ₹265133/–की सूजी, चीनी, देसी घी, बेसन, दाख, काजू, इत्यादि मदों का क्रय किया गया परन्तु इन मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	जिससे क्रय किया गया	दिनांक	राशि
1	शून्य	4.8.08	मै0 विनय ट्रेडर्स लोअर बाजार सोलन	26.6.07	4484
				31.7.07	4438
				10.7.07	4438
				17.7.07	4438
				24.7.07	4468
				31.7.07	4438
				7.8.07	4543
				14.8.07	4438
				28.8.07	4500
				योग	40185
2	शून्य	4.8.08	मै0 विनय ट्रेडर्स लोअर बाजार सोलन	4.9.07	4422

				11.9.07	4580
				18.9.07	4484
				25.9.07	4596
				2.10.07	4484
				9.10.07	4468
				16.10.07	4484
					31498
3	शून्य	7.4.10	–यथोपरि–	14.7.09	6290
				28.7.09	6195
				4.8.09	6644
				18.8.09	6670
				25.8.09	6668
				1.9.09	6670
				8.9.09	6754
				15.9.09	6780
				26.9.09	41867
					95536
4	शून्य	28.4.10	मै0 वियन ट्रेडर्स लोअर बाजार सोलन	29.9.09	6940
				6.10.09	6940
				13.10.09	6940
				27.10.09	7008
				3.11.09	7086
				10.11.09	7086
				24.11.09	7102
				1.12.09	7086
				8.12.09	7182
				22.12.09	7143
				29.12.09	7143
				5.1.10	7247
				12.1.10	3412.50
				26.1.10	3099.50
				2.2.10	3099.50
				9.2.10	3399.50

97914.00

कुल योग (1)+(2)+(3)+(4) ₹2,85,133

अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए तथा यह भी स्पष्ट किया जाए कि क्रम संख्या 3 पर दर्शाये गये दिनांक 26.9.09 को ₹41867/–की खाद्य वस्तुओं का क्रय किस प्रयोजन हेतु किया गया क्योंकि इसका अभिलेख में कोई विवरण नही दिया गया।

11 **मन्दिर न्यास का गल्ला बनाने के लिए किये गये ₹3725/–के भुगतान बारेः–**

मै0 देव नाथ वर्कशाप, बसाल सोलन को मन्दिर का गल्ला बनाने के लिए ₹3725/–का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया।

क्रय का विवरण	दर	राशि
गल्ला 75Kg	45 प्रति कि0ग्रा0	3285
कब्जे 3	80	240
कुन्डे 2	100	200
		3725

उपरोक्त भुगतान में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) नियमानुसार उक्त कार्य के लिए निविदाऐं प्राप्त की जानी अनिवार्य थी जबकि गल्ला बनाने से पूर्व केवल एक ही निविदा मै0 आर0सी0 बैल्डींग वर्कस सपरून से ₹50/–प्रति किलोग्राम की प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास के अभिलेख में न तो मै0 देवनाथ वर्कशाप बसाल (जिससे गला बनाया गया) की ही निविदा है और न ही अन्य निविदाएं उपलब्ध है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त उक्त गल्ले को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया जिसे शीघ्र स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 **टैन्ट के किराये के रूप में ₹8625/– का भुगतान करने बारेः–**

मन्दिर न्यास द्वारा चैक संख्या 004070 दिनांक 29.8.09 के अन्तर्गत ₹8625/–का भुगतान मै0 शूलिनी टैन्ट हाऊस, राजगढ़ रोड सोलन को उनके बिल संख्या 319, दिनांक 1.6.09 के एवज में किया गया। किराये पर लिए गए टैन्ट की मदों का विवरण निम्न प्रकार से

मात्रा	किराये का विवरण	दर	राशि
25	टैन्ट	150	3125
20	कनात व दरी	50	1000
40	कारपेट	50	2000
2	तरपाल	5000	1000
10	हेलोजन लाईट	50	500
	गाड़ी का किराया		1000
		योग	₹8625

उक्त भुगतान के अंकेक्षण में निम्न आपत्तियॉं पाई गई जिसका शीघ्र समाधान किया जाए

(क) उक्त टैन्ट किस प्रयोजन से किराये पर किया गया इसका अभिलेख मे कोई विवरण नहीं दिया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ख) उक्त टैन्ट को किराये पर लेने से पूर्व निविदाऐ आमन्त्रित नहीं की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमितता का नियमितिकरण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जानी सुनिश्चित की जाए।

13 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को भुगतान किए गये ₹35,000.00/—के भुगतान बारे:—

निम्न विवरणानुसार हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ₹35,000.00/—का भुगतान किया गया परन्तु इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। अतः इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से शीघ्र प्राप्त किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे बताई जाए।

चैक संख्या	दिनांक	राशि
0012301	12.11.09	10000.00
036590	26.2.11	25000.00
	योग	₹35000.00

14 गृह रक्षकों की मन्दिर में तैनाती के लिए ₹5500/–के भुगतान बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा वाऊचर संख्या शून्य, दिनांक 7.6.06 द्वारा कमान्डेन्ट होम गार्ड 11वी बटालियन सोलन हिमाचल प्रदेश को गृह रक्षकों की मन्दिर में दिनांक 8.10.2005 से 18.10.05 के दौरान तैनाती के लिए ₹5500/–का भुगतान किया गया परन्तु अभिलेख मे उक्त भुगतान का मूल बिल के स्थान पर बिल को फोटोकापी उपलब्ध थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसके अतिरिक्त उक्त भुगतान की रसीद भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 अंशकालीन कर्मचारियों को ₹824/–के अधिक भुगतान करने बारेः–

निम्न अंशकालीन कर्मचारियों की माह जनवरी 2006 में हाजरी रजिस्टर में उपस्थितियाँ 16.1.06 से 31.1.06 तक ही दर्ज की गई दर्शाई गई है जबकि भुगतान पूर्ण माह अर्थात 1.1.06 से 31.1.06 तक का किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा 15 दिनों के लिए अधिक भुगतान की ₹824/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारी से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में बताई जानी सुनिश्चित की जाए।

वा0सं0	दिनांक	नाम	वेतन का भुगतान देय	भुगतान किया गया	अधिक भुगतान
शून्य	7.6.06	श्रीमति पुष्पा मेहता	387 @₹800प्रति माह (16.1.06 से 31.1.06)	800	412
शून्य	7.6.06	श्रीमति कुसम	387 @₹800प्रति माह (16.1.06 से 31.1.06)	800	412
					₹824

16 अंशकालीन सफाई कर्मचारियों के हाजरी रजिस्टर का रख–रखाव न किया जाने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा निम्न अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया गया परन्तु इनका हाजरी/उपस्थिति रजिस्टर का रख–रखाव नही किया गया था जिसके अभाव में भुगतान किये गये वेतन की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नही की जा सकी। अतः बिना उपस्थिति रजिस्टर के रख–रखाव के वेतन के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

वा0सं0	दिनांक	जिसे भुगतान किया गया	भुगतान की अवधि	राशि
शून्य	7.6.07	श्रीमति कुसुम	1.12.05 से 31.12.05	800
शून्य	7.6.06	श्रीमति पुष्पा मेहता	–यथोपरि–	800
शून्य	7.6.06	श्री शंकर दास प्रबन्धक मन्दिर	16.1.06 से 31.1.06	1000
शून्य	7.6.06	–यथोपरि–	1.2.06 से 28.2.06	2000
शून्य	7.6.06	–यथोपरि–	1.3.06 से 31.3.06	2000
शून्य	7.6.06	–यथोपरि–	1.4.06 से 30.4.06	2000
शून्य	7.6.06	–यथोपरि–	1.5.06 से 31.5.06	2000

17 **भुगतान की रसीदें प्रस्तुत न करना:–**

निम्न विवरणानुसार अंशकालीन सफाई कर्मचारियों व सेवा दारों को माह 6/2008 व 7/2008 के वेतन का भुगतान किया गया था परन्तु उनसें वेतन भुगतान की प्राप्ति की रसीदें प्राप्त नहीं की गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित रसीदें सम्बन्धित कर्मचरियों से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

नाम	माह	राशि
श्री अनूप	6/08 व 7/08	1600
श्रीमति कुसुम	–यथोपरि–	1600
श्री राकेश	–यथोपरि–	1600

18 **दैनिक भोगी कर्मचारियो के वेतन/मजदूरी के बिलों का भुगतान निर्धारित प्रपत्र पर न किये जाने बारे:–**

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि दैनिक वेतन भोगियों के वेतन/मजदूरी के बिलों का भुगतान निर्धारित प्रपत्र पर न करके (Acqutance Roll) वेतनावली पर ही किया गया जो कि नियमों के विपरीत हैं अतः भविष्य में दैनिकी वेतन भोगियों के वेतन का भुगतान निर्धारित प्रपत्र पर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

202

19 चल व अचल सम्पत्तिः—

मन्दिर न्यास द्वारा चल व अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित रजिस्टर तथा सूची अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। इस बारे अंकेक्षण के दौरान बताया गया कि उक्त सूची अभिलेख में उपलब्ध नहीं हैं ऐसा प्रतीत होता है कि मन्दिर की चल व अचल सम्पत्ति का विवरण तैयार नहीं किया गया। अतः मन्दिर की चल व अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण तैयार किया जाए जिसे सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में बताई जाए।

20 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

21 **निष्कर्षः—** लेखाओं मे सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

08 FEB 2013

927 - 930

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)(एच) (2)सी (15)(14) 295/12खण्ड—1 दिनांक, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1 तहसील एवं मन्दिर अधिकारी, माँ शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट सोलन, जिला सोलन (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजें।

2 उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

3 प्रधान सचिव, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग हि0प्र0 सरकार, शिमला—2

4 निदेशक, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग हि0प्र0 शिमला—9

08 FEB 2013

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

(73)

परिशिष्ट (क) [अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 3 (ग) में सन्दर्भित)

203

31-12-2011 को बघाट बैंक सोलन के सावधी खातों में जमा का विवरण

	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	अवधि	ब्याज दर	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता पर प्राप्त	परिपक्वता पर प्राप्त राशि
5915	7-8-2011	49,59,813	12 माह	10%	7-8-2012	514893	5474706=00
323	20-8-11	30,00,000	12 माह	10%	20-8-2012	311439	33,11,439=00
5793	4-4-11	678.264	12 माह	9.75%	4-4-12	135657	746852/
5406	5-8-11	21,54,272	12 माह	10%	5-8-12	233641	2377913.
6819	4-4-11	21,73,879	12 माह		4-4-12	219829	2393708
योग		1;29;66;228=00					

(हस्ताक्षर) 20/3/12

Tehsildar-cum-Temple Officer
Shri Shoolini Mata Mandir
Solan (H.P.) Distt. Solan (H.P.)

(74)

परिशिष्ट "ख" (अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5 में सन्दर्भित)

204

Subject:- Regarding details of Gold & Silver of Mata Shoolini Temple, Solan.

With reference to Audit memo No. 1 dated 16-02-2012 the detail of Gold & Silver pertaining to Mata Shoolini Temple, Solan is as under:-

	Quantity of Gold	Quantity of Silver
Opening balance At the time of Temple undertaken By the Trust i.e. 5-10-2005	340-330 gm	7-764-600 kg.
Receipt during The period w.e.f. 5-10-2005 to 31-12-2011	31-720 gm 36-150 gm 14-140gm 52-780 gm	8-219 kgm. 1-24 kgm (other gold) as per record dt 29.10.2008. 12-680 kgm
Total	475-12 gms	29-903-600 kgm

Tehsildar-cum-T.O.
Solan,Tehsil & Distt.Solan.
29/2/12

To

The S.O. LAD
H.P.Shimla.

परिशिष्ट A. [redacted]

इस निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा (ख) में सन्दर्भित 7(vii)(ख)

परिशिष्ट "A"

माँ शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट

सोलन (हि.प्र.)

CG1 दिनांक 05/04/06

श्रीमती/कुमारी भूपेन्द्र कुमार [illegible] जी से

रुपये एक सौ बीस [illegible]

प्रसाद/भण्डारा हेतु धन्यवाद सहित प्राप्त किए।

120/-

प्रबन्धक
शूलिनी माता मन्दिर

मन्दिर अधिकारी
(तहसीलदार सोलन)

परिशिष्ट "B" (अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 7(vii) (ख) में सन्दर्भित

माँ शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट

सोलन (हि.प्र.)

क्रमांक 001

दिनांक 26-9-2005

श्रीमान/श्रीमती/कुमारी Krishma

.... जी से

मुबलिग रुपये One hundred only

मन्दिर विकास/भण्डारा हेतु धन्यवाद सहित प्राप्त किए।

रु० 111/-

प्रबन्धक
शूलिनी माता मन्दिर

मन्दिर अधिकारी
(तहसीलदार सोलन)

परिशिष्ट "C" (अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 7(vii) (ख) में सन्दर्भित

माँ शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट

सोलन (हि. प्र.)

क्रमांक 401

दिनांक 11/10/05

श्रीमान्/श्रीमती/कुमारी [illegible]

.... जी से

मुबलिग रूपये बीस रु. मात्र

मन्दिर विकास/भण्डारा हेतु प्राप्त किए।

रु. 20/-

मन्दिर अधिकारी
(तहसीलदार सोलन)

परिशिष्ट "D" (आवेदन प्रतिवेदन के पैरा [illegible] 7(vii) के)

ॐ शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट

सोलन (हि.प्र.)

001 दिनांक 05/04/06

श्री/श्रीमती/कुमारी [illegible] कुमार [illegible] जी से

रुपये [illegible]

दान/भण्डारा हेतु धन्यवाद सहित प्राप्त किए।

190/-

प्रबन्धक
शूलिनी माता मन्दिर

मन्दिर अधिकारी
(तहसीलदार सोलन)

करवाने की कृपा करें